

# न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट चूरु

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2019/00072

दायर दिनांक 27.09.2019

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान)

—सायल—

बनाम

सलीम पुत्र मो० सरीफ हाजी जाति बिसायती मुस्लमान उम्र 43 साल निवासी वार्ड नम्बर 19

राजलदेसर जिला चूरु।

—गैरसायल—

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि० 1975

उपस्थित :-

1. अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल

निर्णय

दिनांक : 11.02.2022

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में जिला मजिस्ट्रेट चूरु से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल सलीम पुत्र मो० सरीफ हाजी जाति बिसायती मुस्लमान उम्र 43 साल निवासी वार्ड नम्बर 19 राजलदेसर जिला चूरु का रहने वाला है, जो सट्टे की खाईवाली करने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरुद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :-

क.स.	मुकदमा न० एवं दिनांक	जुर्म धारा	चालान दिनांक	जे.एफ. नम्बर	फैसला अदालत
1	73/06.08.2016	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	30.08.2016	290/2016	06.09.2016
2.	97/21.08.2017	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	06.09.2017	575/2017	सजा 24.03.2018

अतः इस्तगासा विरुद्ध सलीम पुत्र मो० सरीफ हाजी जाति बिसायती मुस्लमान उम्र 43 साल निवासी वार्ड नम्बर 19 राजलदेसर जिला चूरु को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के बाद गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह कठोड़ ने वकालतनामा पेश किया, किन्तु प्रकरण में ना तो जवाब पेश किया ना ही उपस्थित आये। इसलिए गैरसायल के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरु ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध 02 बार, 13 RPGO के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावे ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरु की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली-भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध 02 मुकदमें 13

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु

आर.पी.जी.ओ. मे दिनांक 06.08.2016 व 21.08.2018 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल सलीम पुत्र मो० सरीफ हाजी जाति बिसायती मुस्लमान उम्र 43 साल निवासी वार्ड नम्बर 19 राजलदेसर जिला चूरु स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल सलीम पुत्र मो० सरीफ हाजी जाति बिसायती मुस्लमान उम्र 43 साल निवासी वार्ड नम्बर 19 राजलदेसर जिला चूरु को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना राजलदेसर गैरसायल सलीम को थानाधिकारी पुलिस थाना रतनगढ को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना रतनगढ की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी थाना रतनगढ में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना राजलदेसर व थानाधिकारी पुलिस थाना रतनगढ तथा पुलिस अधीक्षक चूरु को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



11/2/22  
(लोकेश कुमार गौतम)  
अति० जिला कलक्टर एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, चूरु  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु